प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.09.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अपराधी को जिले की सीमा में पाये जाने पर किया गिरफ्तार।

दिनांक 22.05.2025 को मा0 न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के वाद संख्याः 672/2024 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के द्वारा अभियुक्त अंकित मावी पुत्र रमेश मावी निवासी ग्राम सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को जिले की सीमा से बहिष्कासन के आदेश पारित किये गये थे जिसके क्रम में अभियुक्त अंकित मावी उपरोक्त को दिनांक 23.05.2025 को नियमानुसार मुनादी कराते हुये जिले की सीमा से बाहर किया गया था। आज दिनांक 14.09.2025 को पुलिस टीम लोनी द्वारा मुखबिर की सूचना पर बन्थला चिरौडी मार्ग सिकरानी कट से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अंकित मावी ने पूछताछ पर बताया कि मैं छिपते छिपाते अपने गाँव आ गया था और आज मैं अपनी रिश्तेदारी में कहीं जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित मावी पुत्र रमेश मावी निवासी ग्राम सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 10/21 धारा 504/506/336 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद
2.मु0अ0सं0 1016/2021 धारा 307,504,506 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद
3.मु0अ0सं0 515/2024 धारा 333,324(4),351(2),3(5) बीएनएस थाना लोनी गाजियाबाद
4.मु0अ0सं0 – 623/2022 धारा 323,504,506 भादवि थाना लोनी गाजियाबाद
अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत अन्तर्गत धारा 3/10 गुण्डागर्दी अधिनियम पंजीकृत किया जा रहा है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 06 शातिर अपराधियो के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री जे0 रविंदर गौड व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद श्री धवल जायसवाल के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 06 शातिर अपराधियो के विरूद्ध थाना कविनगर पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों पर 21 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है।

क0सं0	अपराधी का नाम	उम्र	पंजीकृत अभियोगों की सं0
1	मनीष पुत्र देवेन्द्र सिंह नि0 कृष्ण बिहार कालोनी लाल कुंआ थाना वेव सिटी गाजियाबाद।	30 वर्ष	4
2	नितिन कुमार पुत्र सरदार नि0 छोटा मौहल्ला गांव खेडा थाना पिलखुआ हापुड।	20 वर्ष	4
3	सूरज यादव पुत्र अशोक यादव नि0 शंकर विहार कालोनी मानसरोवर लाल कुंआ थाना वेवसिटी गाजियाबाद।	24 वर्ष	4
4	अमित कुमार पुत्र रतिराम नि0 म0नं0 126 कृष्णा बिहार लाल कुंआ थाना वेवसिटी गाजियाबाद।	31 वर्ष	2
5	ब्रजेश पुत्र राजकुमार नि0 छोटा मौहल्ला गांव खेडा थाना पिलखुआ हापुड।	28 वर्ष	4
6	अंकुश उर्फ काले पुत्र कमल नि0 ग्राम कुशलिया थाना मसुरी गाजियाबाद।	19 वर्ष	3

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आदित्य मॉल स्थित अवैध रुप से बिग डैडी क्लब में हुक्का बार का संचालन करने वाले सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 हुक्का, 03 हुक्का की पाईप, 02 फ्लैवर्ड तम्बाकू, 03 चिलम बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 13/14.09.2025 की रात्रि को जरिये मुखबिर के सूचना प्राप्त हुई कि थाना इन्दिरापुरम स्थित आदित्य मॉल में अवैध रुप से बिग डैडी क्लब में हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर बिग डैडी क्लब आदित्य मॉल के पास में अवैध रुप हुक्का बार संचालित हो रहा था जिसमें मौके अवैध रुप से बिग डैडी क्लब में हुक्का बार का संचालन करने वाले सहित 03 अभियुक्त 1. अरुण यादव पुत्र वेद(संचालक) निवासी एफ-23 सरस्वती विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष, 2. नीरज त्यागी पुत्र श्री अमरनाथ त्यागी निवासी म0नं0 सी-64 इन्द्रापुरी लोनी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष व 3. अरुण सिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी गली नं0 5 शांतिनगर थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को 03 हुक्का,

03 हुक्का की पाईप, 02 फ्लैवर्ड तम्बाकू, 03 चिलम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 21/22 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताय कि अभियुक्त अरुण यादव पुत्र वेद(संचालक) इस हुक्का बार को संचालित करता है। और दोनों अभियुक्त नीरज त्यागी पुत्र अमरनाथ व अरुण सिंह पुत्र धर्मसिंह उपरोक्त इस हुक्का बार में काम करते हैं। जिन्हें पुलिस द्वारा मौके से पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अरुण यादव पुत्र वेद(संचालक) निवासी एफ-23 सरस्वती विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
2. नीरज त्यागी पुत्र अमरनाथ त्यागी निवासी म0नं0 सी-64 इन्द्रापुरी लोनी थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।
3. अरुण सिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी गली नं0 5 शांतिनगर थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 03 हुक्का, 03 हुक्का की पाईप, 02 फ्लैवर्ड तम्बाकू, 03 चिलम बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गॉड फादर क्लब में अवैध रुप से चल रहे हुक्का बार से 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 हुक्का, 05 हुक्का की प्लेटें, 05 हुक्का की पाईप, 05 खाली चिलम व 03 फ्लैवर्ड तम्बाकू पैकेट बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 14.09.2025 की सुबह में जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि वेव सिनेमा के पिछे गॉड फादर क्लब के अन्दर हुक्का बार चल रहा है काफी संख्या में लोगों द्वारा बार मे हुक्का और फ्लैवर्ड तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा तत्काल गॉड फादर क्लब पहुँचकर 02 अभियुक्त 1. बोबी पुत्र विजय पाल निवासी राज कुमार का किराये का मकान मटके वाली गली ज्वाला नगर चौक महारम मौहल्ला शाहदरा दिल्ली मूल निवासी ग्राम

वीरनगर नगंला गुसाई थाना मवाना जिला मेरठ उम्र करीब 28 वर्ष व 2. प्रदयुमन पुत्र मनीराम निवासी गॉड फादर क्लब वेव सिनेमा कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता वार्ड न0 -09 बड़ा मुहाल ग्राम कर्रापुर थाना कर्रापुर जिला सागर म0प्र0 उम्र करीब 24 वर्ष को 05 हुक्का, 05 हुक्का की प्लेटें, 05 हुक्का की पाईप, 05 खाली चिलम व 03 फ्लैवर्ड तम्बाकू पैकेट सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 21/22 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त बोबी पुत्र विजयपाल व प्रदयुमन पुत्र मनीराम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि इस क्लब में हम काम करते है। हम अपने क्लब मालिक हरेन्द्र पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र करीब 34 वर्ष निवासी म0न0-182 एफ ब्लाक दिलशाद गार्डन दिल्ली के कहने पर ग्राहको की मांग पर फ्लेवर्ड हुक्का मय चिलम तम्बाकू के उपलब्ध कराता है। क्लब मालिक हरेन्द्र आज क्लब नही आया हैं। मौके से पकडे गये बोबी व प्रदयुमन उपरोक्त से हुक्का बार का लाइसेंस तलब किया गया तो वह दिखाने में कासिर रहे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. बोबी पुत्र विजय पाल निवासी राज कुमार का किराये का मकान मटके वाली गली ज्वाला नगर चौक महारम मौहल्ला शाहदरा दिल्ली मूल निवासी ग्राम वीरनगर नगंला गुसाई थाना मवाना जिला मेरठ उम्र करीब 28 वर्ष।
2. प्रदयुमन पुत्र मनीराम निवासी गॉड फादर क्लब वेव सिनेमा कौशाम्बी गाजियाबाद मूल पता वार्ड न0 -09 बड़ा मुहाल ग्राम कर्रापुर थाना कर्रापुर जिला सागर म0प्र0 उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 05 हुक्का, 05 हुक्का की प्लेटें, 05 हुक्का की पाईप, 05 खाली चिलम व 03 फ्लैवर्ड तम्बाकू पैकेट बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एंजेल मेगा मॉल स्थित the bang bang क्लब एवं पब्लिक हाउस में अवैध रुप से चल रहे हुक्का बार से 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15 हुक्का मय चिलम, 15 हुक्का की पाईप, 06 फ्लैवर्ड तम्बाकू पैकेट बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 14.09.2025 की सुबह जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एंजेल मेगा मॉल स्थित the bang bang क्लब एवं पब्लिक हाउस क्लब के अन्दर अवैध हुक्का बार चल रहा है काफी संख्या में लोगों द्वारा बार में हुक्का और फ्लैवर्ड तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना पर थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा तत्काल एंजेल मेगा मॉल पहुँचकर प्रथम तल पर स्थित पब्लिक हाउस क्लब से 02 अभियुक्त 1.फहीम पुत्र इमामुद्दीन निवासी 205 की पुलिया सुन्दर नगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष व 2. शिवम पुत्र वेद प्रकाश निवासी ग्राम राजापुर थाना कविनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को मय 05 हुक्का सहित गिरफ्तार किया गया व द्वितीय तल पर स्थित the bang bang क्लब से 03 अभियुक्त 1. अश्वनी पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी गली नं0 7 म0नं0 8 क्रश्चियन नगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष 2. त्रिलोक सिंह पुत्र हरीश निवासी गली नं0 3 म0नं0 72/07 वेस्ट विनोद नगर थाना विनोद नगर दिल्ली मूल पता गव जैती थाना लमगडा अल्मोडा उत्तराखण्ड उम्र करीब 28 वर्ष व 3. अजय पुत्र नन्दकिशोर निवासी ग्राम व थाना घघीरी चौराहा जिला अलीगढ हाल पता ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को 10 हुक्का मय चिलम, 10 हुक्का की पाईप, 06 फ्लैवर्ड

तम्बाकू पैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 21/22 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त फहीम पुत्र इमामुद्दीन व शिवम पुत्र वेद प्रकाश उपरोक्त (पब्लिक हाउस क्लब) से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि पब्लिक हाउस क्लब में दोनों अभियुक्त काम करते है तथा यह क्लब रिहान चलाता हैं। रिहान अभी भीड़ के साथ पीछे दरवाजे से निकलकर कर भाग गया और मौके पर नही मिला एवं the bang bang क्लब से गिरफ्तार अभियुक्त अश्वनी पुत्र सुरेश, त्रिलोक सिंह पुत्र हरीश व अजय पुत्र नन्दकिशोर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग अपने क्लब मालिक रविन्द्र के कहने पर ग्राहकों की मांग पर फ्लेवर्ड हुक्का मय चिलम तम्बाकू के उपलब्ध कराते है, जैसे ही हमको पता चला कि पुलिस की चेकिंग आने वाली है। हम सभी लोग हुक्के से सम्बंधित सामग्री को हटा ही रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया। हम सभी क्लब मालिक रविन्द्र के अधीनस्थ रहकर हुक्का बार संचालन में सहयोग करते हैं। आज रविन्द्र क्लब में नही आये है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. फहीम पुत्र इमामुद्दीन निवासी 205 की पुलिया सुन्दर नगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।
2. शिवम पुत्र वेद प्रकाश निवासी ग्राम राजापुर थाना कविनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।
3. अश्वनी पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी गली नं0 7 म0नं0 8 क्रश्चियन नगर थाना क्रासिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।
4. त्रिलोक सिंह पुत्र हरीश निवासी गली नं0 3 म0नं0 72/07 वेस्ट विनोद नगर थाना विनोद नगर दिल्ली मूल पता गव जैती थाना लमगडा अल्मोडा उत्तराखण्ड उम्र करीब 28 वर्ष।
5. अजय पुत्र नन्दकिशोर निवासी ग्राम व थाना घघीरी चौराहा जिला अलीगढ हाल पता ग्राम भोवापुर थाना कौशाम्बी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 15 हुक्का मय चिलम, 15 हुक्का की पाईप, 06 फ्लैवर्ड तम्बाकू पैकेट बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास में साथ देने वाला वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 13.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की दुकान पर आकर वादी के चचेरे भाई पर चाकू से जानलेवा हमला कर देना जिससे वादी के भाई के पेट में दाहिनी तरफ गंभीर चोट आना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त अभिषेक पुत्र उमेश सिंह निवासी

A 34 गली न० 2 हरिजन बस्ती करावल नगर दिल्ली उम्र 34 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग में धारा 61(2)/351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 14.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र उमेश सिंह निवासी A 34 गली न० 2 हरिजन बस्ती थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 34 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारा वादी से पूर्व से पैसों का लेन देन था वह मेरे पैसे नही दे रहा था जिसे लेकर मैने उस पर हमला करवाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

अभिषेक पुत्र उमेश सिंह निवासी A 34 गली न० 2 हरिजन बस्ती करावल नगर दिल्ली उम्र 34 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अभिषेक के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मारपीट व जान से मारने की नियत से ब्लेड व तमंचे से फायरिंग करने के अभियोग के वांछित 02 अभियुक्त गण मय एक अवैध तंमचा .32 बोर, एक खोखा कारतूस .32 बोर व एक ब्लेड सहित गिरफ्तार।

दिनांक 13.09.2025 को थाना लोनी पर वादी श्री आसिफ पुत्र कासिम निवासी रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा नामजद तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1.शाहरुख पुत्र इकबाल 2.आमिर पुत्र इकबाल निवासी रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद द्वारा वादी के भाई आरिफ के साथ पैसो के लेन-देन को लेकर झगडा-मारपीट करना व अभियुक्त शाहरुख द्वारा वादी के भाई आरिफ पर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर करना जिसका बचाव करते हुए गोली वादी के भाई आरिफ के दाहिने हाथ में लगने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 115(2)109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

दिनांक 13.09.2025 को ही थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियोग में नामित वांछित अभियुक्तगण 1.शाहरूख उर्फ डैनी पुत्र इकबाल निवासी नूरानी मस्जिद के पास रूपनगर थाना लोनी गा0बाद उम्र 22 वर्ष, 2.आमिर पुत्र इकबाल निवासी नूरानी मस्जिद के पास रूपनगर थाना लोनी गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र बंथला चिरौडी मार्ग से घटना में प्रयुक्त एक अवैध

तमंचा .32 बोर व एक खोखा कारतूस .32 बोर व एक ब्लेड सहित गिरफ्तार किया गया। अभियोग में बयान वादी व बयान पीडित व बरामदगी के अधार पर धारा 118(1)/3(5) BNS व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभि0गण ने पूछने पर बताया कि दिनांक 12/09/2025 की रात को हमारा झगडा आरिफ पुत्र कासिम निवासी रूप नगर के साथ हो गया था और शाहरूख ने बताया कि साहब हम दोनों ने इसी तमंचे से आरिफ को जान से मारने की नियत से उसके सीने की तरफ फायर किया था लेकिन आरिफ ने अपना बचाव किया और गोली उसके हाथ में जाकर लगी और आमिर ने बताया कि साहब मैनें इसी ब्लेड जो मेरी जेब से बरामद हुआ है से आरिफ के ऊपर वार कर दिया था और हम दोनों वहां से भाग गये थे और अब हम दोनों भाई पुलिस से छिपते छिपाते घूम रहे थे कि आपने हमे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.शाहरूख उर्फ डैनी पुत्र इकबाल निवासी नूरानी मस्जिद के पास रूपनगर थाना लोनी गा0बाद उम्र 22 वर्ष,

2.आमिर पुत्र इकबाल निवासी नूरानी मस्जिद के पास रूपनगर थाना लोनी गा0बाद उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा .32 बोर व एक खोखा कारतूस .32 बोर व एक ब्लेड बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 22.04.2025 को थाना वेवसिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा गौ हत्या कर देना तथा रघुनाथपुर नहर पुल के पास नहर में गौ अवशेष मिलना। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेवसिटी पर सुसंगत धारा 3/5 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 13.09.2025 थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा उपरोक्त गौकशी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त अनस उर्फ पोपा पुत्र साबू उर्फ साबुद्दीन नि0 पुरानी पैंठ कस्बा डासना

थाना वेवसिटी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष को कम्पोजिट विद्यालय तिराहा डासना के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि सर मै पुरानी पैंठ डासना का रहने वाला हूँ और मैं वर्ष 2020 लॉकडाउन से ज्यादा रूपये कमाने के लिए बिलाल पुत्र जहीर निवासी किले वाली मस्जिद के पास डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद जो वेव सिटी थाने की इसी FIR में गाजियाबाद जेल में बन्द है उसके साथ मिलकर गौकशी का काम करता था और गाजियाबाद में जगह जगह में गौ मांस को रूपये कमाने के लिए बेचता था और इसी काम में मैं पहले भी कई थानों से जेल गया हूँ और जमानत पर आया था और फरार होकर यही काम कर रहा था और मैं किसी काम से अपने घर डासना आया था और डासना से वापस जा रहा था कि मैं पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनस उर्फ पोपा पुत्र जहीर निवासी किले वाली मस्जिद के पास डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अनस उर्फ पोपा के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर गौवध निवारण अधि0 का 01 अभियोग, NDPS Act का 01 अभियोग तथा थाना कविनगर पर 02 गौवध निवारण अधि0 एवं 01 चोरी का तथा थाना मसूरी पर 02 गौवध निवारण अधि0, हत्या का प्रयास/आयुद्ध अधि0 का 01 अभियोग, NDPS Act का 01 अभियोग, गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग तथा थाना निवाडी में 01 गैंगस्टर एक्ट व गौवध निवारण अधि0 का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा चोरी/छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 03 मोबाइल फोन बरामद।

आज दिनांक 14.09.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी/छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. शावेज उर्फ सावेज पुत्र मो0 कमर निवासी म0न0 263 गली नं0 03 आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गा0बाद उम्र 27 वर्ष व 2. दिलशाद खान पुत्र शमशाद निवासी गली नं0 02 लक्ष्मी गार्डन दो नम्बर इन्द्रापुरी के पास थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद स्थाई पता अमीन नगर शाहजहांपुर उम्र 23 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 03 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के बरामद हुये। अभियुक्तों के विरूद्ध बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर 317(2)/317(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि ये फोन हमने एक – दो महीने पहले राह चलते व्यक्तियों से छीने हैं, आज हम इन्हें बेचने के लिये ग्राहक तलाश रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1.शावेज उर्फ सावेज पुत्र मो0 कमर निवासी म0न0 263 गली नं0 03 आर्य नगर थाना लोनी बॉर्डर कमि0 गा0बाद उम्र 27 वर्ष।

2. दिलशाद खान पुत्र शमशाद निवासी गली नं0 02 लक्ष्मी गार्डन दो नम्बर इन्द्रापुरी के पास थाना लोनी बॉर्डर गा0बाद स्थाई पता अमीन नगर शाहजहापुर उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 03 मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त शावेज उर्फ सावेज के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी/आयुध अधिनियम/बरामदगी के सम्बन्ध में 03 अभियोग तथा थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग तथा अभियुक्त दिलशाद के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 किलो 189 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 14.09.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र चुंगी न0 3 से अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त फिरोज पुत्र नौशाद निवासी मोहल्ला पठानान कुम्हारों वाली गली थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 02 किलो 189 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह गाँजा एक व्यक्ति से खरीदकर पालीथिन की छोटी छोटी पुडिया बनाकर रखा था जिसको आज मैं बेचने के लिए मुरादनगर क्षेत्र में आया था कि पुलिस चैकिंग में पकडा लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फिरोज पुत्र नौशाद निवासी मोहल्ला पठानान कुम्हारों वाली गली थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 02 किलो 189 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त फिरोज के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर अवैध गांजा बरामदगी के संबंध में 05 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना निवाडी पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 14.09.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1.सुहैल पुत्र खालिद नि0 झील वाली मस्जिद के पास कच्चीसराय थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष 2.साद पुत्र मौ0 अफजाल नि0 राजबीर वाली गली आर्यनगर थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना इंदिरापुरम क्षेत्र से चोरी की गयी 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल हमनें थाना इंदिरापुरम क्षेत्र से चोरी की थी जिसे आज हम बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.सुहैल पुत्र खालिद नि0 झील वाली मस्जिद के पास कच्चीसराय थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।

2.साद पुत्र मौ0 अफजाल नि राजबीर वाली गली आर्यनगर थाना मुरादनगर कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना इंदिरापुरम में उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना मुरादनगर पर चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हरियाणा मार्का 96 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

दिनांक 13.09.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर सर्वोदय स्कूल के पास खानपुर मोड चौकी क्षेत्र रामपार्क से अवैध देशी शराब की तस्करी

करने वाले 02 अभियुक्त 1. सौरभ झा पुत्र भावेश झा निवासी अम्बेडकर चौक के पास मस्जिद वाली गली नसीव बिहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष 2.अंकित दूबे पुत्र मोहन दुबे निवासी शिव मंदिर के पास गली नं0 03 नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से हरियाणा मार्का सन्तरा अवैध देशी शराब के 96 पव्वे बरामद हुये। उक्त बरादगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों दोस्त हैं कुछ दिनो से चोरी छुपके हम दोनो दोस्त हरियाणा से सस्ते दामों में देशी शराब के पव्वे लाकर आने जाने वाले लोगो को मंहगे दामो में बेचकर लाभ कमाते हैं। आज हम दोनों रामपार्क क्षेत्र में मैदान के पीछे झाडियों की तरफ यह शराब बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस ने हमे हरियाणा की देशी शराब के साथ पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. सौरभ झा पुत्र भावेश झा निवासी अम्बेडकर चौक के पास मस्जिद वाली गली नसीव बिहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष
2. अंकित दूबे पुत्र मोहन दुबे निवासी शिव मंदिर के पास गली नं0 03 नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

96 पव्वे अवैध देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हरियाणा मार्का 68 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

दिनांक 13.09.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर यमुना पुस्ता ठोकर न0 09 चौकी क्षेत्र सिग्नेचर सिटी से अवैध देशी शराब की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1.अरमान पुत्र हसनैन नि0 नियर अग्रवाल स्वीट्स 30 फुटा रोड नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष 2. अजय पुत्र शिवनाथ नि0 कुत्ता फार्म से आगे अग्रवाल स्वीटस के सामने वाली गली नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के कब्जे से हरियाणा मार्का सन्तरा अवैध देशी शराब के 68 पव्वे बरामद हुये। उक्त बरादगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों दोस्त हैं, हमें नशा करने का शौक है कुछ दिनों से चोरी छुपके हरियाणा से शराब के पव्वे लाकर आने जाने वाले लोगो को मंहगे दामों में बेचकर लाभ कमाते हैं। हम दोनों यमुना खादर की तरफ यह शराब बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस ने हमे हरियाणा की शराब के साथ पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अरमान पुत्र हसनैन नि0 नियर अग्रवाल स्वीट्स 30 फुटा रोड नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र करीव 23 बर्ष

2.अजय पुत्र शिवनाथ नि0 कुत्ता फार्म से आगे अग्रवाल स्वीटस के सामने वाली गली नसीब विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

68 पव्वे अवैध देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्तों की निशानदेही से हत्या की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 10.09.2025 को थाना टीलामोड पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पोते सावेज पुत्र राशिद उम्र करीब 17 वर्ष को जान से मारने की नियत से चेहरे पर गोली मार दी है। जिससे सावेज की हालत गम्भीर है और जीटीबी अस्पताल दिल्ली में उपचाराधीन है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धारा 109(1), 3(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। मजरुब सावेज की उपचार के दौराने मृत्यु हो जाने के कारण अभियोग में हत्या की धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि कर विवेचना के क्रम में 03 अभियुक्त 1. अज्जू पुत्र ज्ञानी 2. मोहित उर्फ चुल्लू पुत्र प्रताप व 3. अनूप पुत्र श्यौराज निवासीगण ग्राम जावली थाना टीलामोड गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आये। जिसके क्रम में दिनांक 13.09.2025 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 02 अभियुक्त 1. अज्जू पुत्र ज्ञानी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष व 2. मोहित उर्फ चुल्लू पुत्र प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को कोयल एनक्लेव तिकोना पार्क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अज्जू पुत्र ज्ञानी की निशानदेही ग्राम जावली स्थित अभियुक्त के मकान के पास खाली पडे खंडहर से हत्या की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। फरार अभियुक्त अनूप पुत्र श्यौराज के गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त अज्जू पुत्र ज्ञानी व मोहित उर्फ चुल्लू पुत्र प्रताप उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त व उनके गांव का अनूप पुत्र श्यौराज गुर्जर अकसर डी-मार्ट के पीछे कृष्णा विहार के जंगल में

बैठकर गांजा पीते है। दिनांक 05.09.2025 की दोपहर को दोनों अभियुक्त व अनूप रोज की तरह कृष्णा विहार के जंगल मे बैठकर गांजा पी रहे थे तभी अभियुक्तों के पास कुछ दूर पर ही फरूखनगर का रहने वाला सावेज भी बैठकर गांजा पी रहा था तथा उसके साथ उसका चचेरा भाई जो करीब 07-08 साल का है भी बैठा था। सावेज ने नशे में तीनों अभियुक्तों को गाली दे दी। इसीबात को लेकर तीनों अभियुक्त सावेज के पास पहुंचकर सावेज से लिपट गये और उससे मारपीट करने लगे। सावेज भी नशे में था और तीनों से भिड गया। अज्जू उपरोक्त ने आगे बताया कि मेरे पास तमंचा था जिसकी जानकारी मोहित उर्फ चुल्लू व अनूप दोनों को भी थी। दोनों ने मुझसे कहा कि अज्जू मार इसे गोली आज इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। नशे में होने के कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपना पहले से लोड तमंचा निकालकर सावेज को जान से मारने की नियत से सावेज के ऊपर गोली चला दी। गोली सावेज की बांयी कनपटी पर लगी। सावेज चिल्लाया तो तीनों अभियुक्त घबराकर वहां से भाग गये और अपने-अपने घर चले गये। बाद में अभियुक्तों को जानकारी हुई कि सावेज की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी है। जानकारी होते ही अभियुक्त अज्जू पुत्र ज्ञानी ने अपना तमंचा अपने घर के पास खाली पडे खंडहर की दीवार के सहारे एक कपडे में लपेटकर छिपा दिया औऱ पकडे जाने के डर से तीनों अभियुक्त अपने घरों से फरार हो गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अज्जू पुत्र ज्ञानी जाति गुर्जर निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
2. मोहित उर्फ चुल्लू पुत्र प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम जावली थाना टीलामोड कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- अभियुक्तों की निशानदेही से हत्या की घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

- गिफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना टीलामोड पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेहीं से चोरी की 03 मोटर साइकिल बरामद।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.09.2025 को थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र में मैनापुर रोड पर चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे/निशादेहीं से चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उक्त सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार किये गये अभि0गणों ने पूछताछ पर बताया कि ये मोटरसाइकिल हम तीनों ने एक माह पहले 01 मोटरसाईकिल राजनगर थाना क्षेत्र कविनगर से चोरी की थी , 01 मोटरसाईकिल थाना क्षेत्र सिहानी

गेट से एक माह पहले चोरी की थी तथा 01 मोटर साईकिल चार मूर्ति चौराहा गौर सिटी गौतमबुद्ध नगर से चोरी की थी जिनमे से दो मोटरसाईकिल को हमने बाला जी मन्दिर के पास एक खण्डहर में छिपाकर रखी थी ओर एक से आज इससे चोरी करने निकले थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

अभि0गण का नाम व पता—

(1) मोहित नागर पुत्र जगत सिंह नि0 ग्रा0 इमलिया थाना बीटा 2 गौतमबुद्ध नगर उम्र 32 वर्ष

(2) गौरव धामा पुत्र हरवीर नि0 निवाली थाना बागपत जिला बागपत उम्र 30 वर्ष

(3)विनोद गुप्ता पुत्र बनवारी गुप्ता नि0- ग्राम मुरली थाना वीरगंज जिला परसा नेपाल हाल पता गंगापुरम थाना मसूरी कमि0 गा0बाद उम्र – 43 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त मोहित नागर उपरोक्त के विरूद्ध जनपद गौतमबुद्ध नगर , कमि0 गाजियाबाद , जनपद बिजनौर तथा जनपद रामपुर के विभिन्न थानों में 01 दर्जन से अधिक मुकदमा पंजीकृत है।

2. अभियुक्त गौरव धामा उपरोक्त के विरुद्ध कमि0 गाजियाबाद तथा जनपद बागपत के भिन्न भिन्न थानों में 01 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है।

3. अभियुक्त विनोद गुप्ता उपरोक्त पर कमि0 गाजियाबाद के भिन्न भिन्न थानों में 03 मुकदमे पंजीकृत है ।

बरामदगी का विवरण-

1.मोटर साइकिल HF DELUXE रजि0न0- DL-14SQ 3822

2.मोटर साइकिल स्प्लेन्डर रजि0न0- UP 14 FF 9064

3. मोटर साइकिल स्प्लेन्डर बिना नंबर प्लेट चेसिस न0- MBLHAW127NHKC2977

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम